संख्याः 163 / खाद्य / बजट / 2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2004

विषयः **रबी खरीद सत्र 2004–05 में एस0बी0टी0 जूट बोरों के लेखाशीर्षक–4408 से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र संख्या–158 / आ0वि0शा0–बोरा / 04–05 दिनांक 16 मार्च, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आगामी रबी सत्र 2004–05 के अन्तर्गत गेहूं की खरीद योजना हेतु 2700 बेल्स (13 लाख 50 हजार) बोरों के क्रय के लिए रू0 2.44 करोड़ (रूपये दो करोड़ चौवालीस लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कर डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ एकाउन्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई, कोलकोता के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट बनायेंगे तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को उपलब्ध करायेंगे। आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक, उत्तरांचल यह सुनिश्चित करेंगे कि बोरों के क्रय का इंडेण्ट तैयार कर ड्राफ्ट सहित प्रस्ताव निदेशक (सप्लाई एण्ड डिस्पोजल) वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता को उपलब्ध करायेंगे।

2. स्वीकृत की गई धनराशि में ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज सम्मिलित नहीं हैं। क्रय किये जाने वाले बोरों के परिवहन व्यय को न्यूनतम रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि DGS & D के पास वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 में अवशेष बैल्स को भी उपलब्ध कराये जाने के लिए DGS & D कोलकता से प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाये।

4. धनराशि का आहरण तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउण्ट) के रूप में रखे जायेंगे तथा प्रतिमाह ट्रायल बैलेन्स तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त हानि–लाभ लेखा बनाया जायेगा, तथा जिसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. उक्त धनराशि के आहरण की अनुमति लेखाशीर्षक–"4408" के वर्तमान वर्ष से संबंधित जारी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही प्रदान की जा रही है।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनेत्तर–01–खाद्य–101 खरीद और पूर्ति–03–अन्न पूर्ति योजना–31–सामग्री और सामग्री के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा पूर्व में लेखाशीर्षक–"4408" के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

संख्या:163 (1)/खाद्य/बजट/2004तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. निदेशक, सप्लाई एण्ड डिस्पोजेबल, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, 6–इरप्लेण्ड ईस्ट, कोलकाता।
4. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमांऊ संभाग।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संभागीय लेखाधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमांऊ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7. वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
8. समन्वयक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।